न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 07/2012 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (RCMS No.2012/00010)

1. भजनलाल पुत्र श्री पूरना जाति मीना निवासी महाराजसर तहसील व जिला भरतपुर। (मृतक)

1/1 हरीसिंह
1/2 दुलीचंद
1/3 शिवराम
1/4 सोरनसिंह
1/5 बत्तनदेवी वेवा भजनलाल

पुत्रगण भजनलाल जातियान मीना, निवासी महाराजसर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
2. जगदीश
3. नारायन
4. सरदारसिंह

पिसरान दुर्गा जाति खाती नि0 नगला करनसिंह तहसील व जिला भरतपुर।

5. लक्ष्मन
6. ओमप्रकाश
7. हुकमसिंह
8. लेखा

पिसरान गोपाल जाति खाती नि0 नगला करनसिंह तहसील व जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतुपर मु0नं0 10/2008 भजनलाल बनाम सरकार दिनांक 29.12.2011(136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्रपाल सिंह वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 30.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 04.04.2005 को अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 9 मिन रकबा 5 बीघा 16 विस्वा वाकै ग्राम नगला करनसिंह तहसील भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी का खातेदार भजनलाल और मूलचंद थे। मूलचंद लाबल्द विला औरत फौत हो गया, जिसका वारिस प्रार्थी है। साविक आराजी खसरा नम्बर 9 मिन रकबा 5 बीघा 16 विस्वा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान उक्त खसरा नंबर के नए खसरा नम्बर 59/0.33, 60/0.44 ऐयर बनाये है, जिनका कुल रकबा 77 एयर बनाया है जो कि साविक रकबे से

30.X.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

16 ऐयर कम है। उक्त रकबा बन्दोवस्त विभाग द्वारा कम किया गया है। जिसका बन्दोवस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। वरन् पूर्व की प्रविष्टि को ही रिपीट करने का अधिकार था। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साविक खसरा नम्बर 9 मिन रकबा 5 बीघा 16 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 59/0.33, 60/0.44 का रकबा 77 ऐयर की बजाय 93 ऐयर किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया था। तहत अदालत द्वारा प्रकरण विविध 91/05 भजनलाल बनाम सरकार व अन्य दर्ज कर बाद कार्यवाही आदेश दिनांक 24.08.2006 पारित करते हुये अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट को खारिज किया है। अपीलान्ट के द्वारा उपखण्डाधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में पेश की गई थी। अदालत हाजा द्वारा बाद कार्यवाही अपील संख्या 107/06 भजल लाल बनाम सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 15.01.2008 पारित करते हुये प्रकरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर को उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 15.01.2008 की पालना में उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2011 पारित करते हुये अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये अपना पूर्व आदेश दिनांक 29.12.2011 को यथावत रखा गया। उपखण्डाधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 29.12.2011 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में पुनः यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 107/6 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2008 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से उपखण्डाधिकारी भरतपुर के न्यायालय में एल.आर.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने पर अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रथम अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 15.01.2008 के द्वारा अदालत हाजा की ओर से यह निर्देश दिये गये थे कि संबंधित व्यथित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 में अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2006 को ही यथावत रखने का आदेश पारित किया है जो कि रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित नहीं है। जबकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि आराजी साविक खसरा नंबर 9 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा के भूप्रबंध विभाग द्वारा नये नंबर खसरा 59 रकबा 0.33 व खसरा नंबर 60 रकबा 0.44 कुल रकबा 77 एयर बना है जो कि साविक रकबे से 16 एयर कम है। प्रार्थी की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार भरतपुर से भी रिपोर्ट मंगाई गई थी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि खसरा नम्बर 58 में 28 ऐयर रकबा बेसी है 58 में से 16 ऐयर रकबा कम कर हाल खसरा नम्बर 59–60 में जोड दिया जावे तो रकबा पूर्ति हो सकती है। इस रिपोर्ट के बावजूद भी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को वेग तरीके से खारिज किया गया है। जबकि अपीलान्ट ने नक्शा भी पेश कर दिया था फिर भी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो कतई गलत है। अदालत मातहत का यह अभिमत कि रकबे की कमी पूर्ति दावा प्रस्तुत करके करवाया जावे उचित नहीं है। क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट के दौरान की गई गलतियों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके दुरूस्त करवाया जा सकता है। इसके लिए दावा पेश करने की आवश्यकता नहीं है। वकील अपीलान्ट ने इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 336 व आर.आर.डी. 1997 पेज 504 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। प्रार्थी /अपीलान्ट का रकबा कम हुआ है जो कि रिकार्ड से स्पष्ट है। तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। कम रकबे की पूर्ति कराने का अपीलान्ट को पूर्ण अधिकार है। अदालत हाजा द्वारा भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया था। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एकतरफा में उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की खातेदारी के कम रकबे की पूर्ति तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर करवाई जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी खातेदारी में कम हुये रकबे को भूप्रबंध विभाग द्वारा किस नंबर में मिलाया गया है तथा किस खसरा नंबर से पूर्ति की जानी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया, परन्तु नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 को पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 24.08.2006 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 107/06 प्रस्तुत किये जाने पर अदालत हाजा की ओर से निर्णय दिनांक 15.01.2008 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि संबंधित व्यथित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2008 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 को पारित किया गया है। जिसमें यह अभिमत लिया गया है कि प्रार्थी अभिभाषक अपनी बहस में यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि प्रार्थी कहां काबिज है और पूर्ति हेतु रकबा कहां से आना है। अदालत मातहत का उपरोक्त अभिमत उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी की ओर से तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट पत्र दिनांक 04.05.2005 के द्वारा मंगाए जाने पर तहसीलदार भरतपुर की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पत्र दिनांक 11.08.2005 के द्वारा पटवारी हल्का की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 9 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा के हाल नंबर 59/0.33 व 60/0.44 कुल रकबा 77 एयर बना है जो कि गत के मुकाबले 16 एयर कम है। इसी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा ही साविक खसरा नंबर 9 मिन रकबा 5 बिघा 1 विस्वा का हाल खसरा नंबर 58 रकबा 1.09 है0 बनाया है जो कि गत रकबे से 28 एयर अधिक है। इस संबंध में अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 107/06 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2008 में भी उल्लेख किया गया है, परन्तु विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार भरतपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार की कोई विवेचना अपीलाधीन निर्णय में नहीं कि वरन् यह मानकर के अपीलान्ट प्रार्थी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि प्रार्थी कहां काबिज है और पूर्ति हेतु रकबा कहां से आना है, के आधार पर अपील को खारिज किया गया है जो कि उचित नहीं है और न ही अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2008 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही है। हम वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरें यथा आर.आर.डी. 1997 पेज 504 व आर.आर.डी. 2002 पेज 336 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त से सादर सहमत हैं, जिसके अनुसार भू प्रबंध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई गलती को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त करने का अधिकार भू अभिलेख अधिकारी जो कि उपखण्ड अधिकारी है, में निहित है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 107/06 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संबंधित व्यथित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित व पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण में गुणावुगण के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर